



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07022026-269932
CG-MH-E-07022026-269932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 552]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 4 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'सी' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 सितम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यां का. आ. 4331 (अ) तारीख 12 सितम्बर 2025 इसमें उसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद)" नई ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उचित ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ए) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक प्रजावाणी" 16 अक्टूबर 2025 और "दैनिक गुलशन ए अफ्फान टाइम्स (उर्दु/मराठी)" 17 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ई) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ई) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता हूँ की, राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड, जिला में “वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद)” नये ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भुसंपादन	गाँव का नाम	तालुका	७/१२ के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे क्रमांक/ गट क्रमांक	भूधारणा पद्धती	७/१२ अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आ)	संपादन क्षेत्र (हे.आर)	
1	2025/0	पार्डी	अर्धापूर	प्रतापराव भिमराव हापगुंडे	180	1	3.45	0.1806	
2				धोंडबाराव सटवाराव हापगुंडे	182	1	3.45	0.1123	
कुल							6.90 (हे.आर)	0.292 9 (हे.आ)	
1	2025/02	येळेगांव	अर्धापूर	सुजया अशोकराव चव्हाण	31	1	12.77	0.0854	
2				माधवराव चंपतराव कपाटे	31	1		0.7939	
3				जगन्नाथ गंगाराम कपाटे	25	1		0.1255	
4				नानाराव गंगाराम कपाटे	25	1	1.68	0.1551	
5				गोविंद गंगाराम कपाटे	25	1		0.1536	
6				बाबुराव गंगाराम कपाटे	25	1		0.1185	
7				भाऊराव गंगाराम कपाटे	25	1		0.0164	
8				धोंडिबा शामराव कपाटे	39	1	6.86	0.0500	
9				दत्ता पांडूरंग कपाटे	39	1		0.0934	
10				गजानन ब्रम्हानंद कपाटे	39	1		0.0580	
11				गंगासागर ज्ञानेश्वर पवार	39	1	8.06	0.1410	
12				भगवान नारायणराव चव्हाण	34	1		0.0944	
13				बाबु धोंडिबा सावते	34	1		0.0086	

1 4				यश माधवराव कपाटे अ.पा.क. स्वरुपाबाई कपाटे	34	1		0.5500
1 5				विमलबाई आनंदा पाचंगे, साईनाथ आनंदा पाचंगे, रुख्माजी आनंदा पाचंगे, महानंदा आनंदा पाचंगे, निशांत आनंदा पाचंगे	34	1		0.3422
1 6				गंगासागर ज्ञानेश्वर पवार	34	1		0.3900
1 7	2025/02	येळेगांव	अर्धापूर	सुमित्राबाई भिमराव साळवे	33	1		0.2814
1 8				दत्ता माणिकराव कपाटे	33	1	4.40	0.2520
1 9				सतिश शंकर कपाटे	33	1		0.1958
2 0				ब्रम्हानंद माणिकराव कपाटे	33	1		0.0612
कुल							33.77 (हे.आर.)	3.966 4 (हे.आ)
0 1	2025	अर्धापूर	अर्धापूर	गणपत नागोजी सिनगारे	197	1	4.31	0.0075
कुल							4.31 (हे.आर.)	0.007 5 (हे.आ)
कुल योग							44.98 (हे.आर.)	4.266 8 (हे.आ)

[फा. सं. G197/WR-Nanded/Pardi Makta+2 VlgS/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 582(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.4331 (E), dated 12th September, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd September, 2025 and issued under sub-section (I) of section 20(A) of the

Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely **“Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)”** New Railway line in Nanded District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Daily Prajavani (Nanded Edition) of dated 16th October, 2025 & Daily Gulshan A Affam Times Urdu/Marathi (Nanded Edition) of dated 17th October, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received and some have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20 (E) of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)”** New Railway line in the district of Nanded in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	As per 7/12 landholder's name	Survey/ Gut no.	Land holding practices	As per 7/12 Total area (Ha.)	Acquire d area (Ha.)
1	2025/01	PARDI MAKTA	ARDHA PUR	Prataprao Bhimrao Hapgunde	180	1	3.45	0.1806
2				Dhondbarao Satvarao Hapgunde	182	1	3.45	0.1123
Total							6.90 (Ha.)	0.2929 (Ha.)
1	2025/02	YELEGAON	ARDHAPUR	Sujaya Ashokrao Chavhan	31	1	12.77	0.0854
2				Madhav Champatrao Kapate	31	1		0.7939
3				Jagannath Gangaram Kapate	25	1	1.68	0.1255
4				Nanarao Gangaram Kapate	25	1		0.1551
5				Govind Gangaram Kapate	25	1		0.1536
6				Baburao Gangaram Kapate	25	1		0.1185
7				Bhaurao Gangaram Kapate	25	1		0.0164
8				Dhondiba Shamrao Kapate	39	1	6.86	0.0500
9				Datta Pandurang Kapate	39	1		0.0934
10				Gajanan Brahmanand Kapate	39	1		0.0580

Sr. No.	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	As per 7/12 landholder’s name	Survey/ Gut no.	Land holding practices	As per 7/12 Total area (Ha.)	Acquire d area (Ha.)
11				Gangasagar Dynaneshwar Pawar	39	1	8.06	0.1410
12				Bhagwan Narayanrao Chavhan	34	1		0.0944
13				Babu Dhondiba Savate	34	1		0.0086
14				Yash Madhavrao Kapate A.P.K. Swarupabai Kapate	34	1		0.5500
15				Vimalbai Ananda Pachange, Sainath Ananda Pachange, Rukhmaji Ananda Pachange, Mahananda Ananda Pachange, Nishant Ananda Pachange.	34	1		0.3422
16				Gangasagar Dynaneshwar Pawar	34	1	4.40	0.3900
17				Sumitrabai Bhimrao Salave	33	1		0.2814
18				Datta Manikrao Kapate	33	1		0.2520
19				Satish Shankar Kapate	33	1		0.1958
20				Brahmanand Manikrao Kapate	33	1	0.0612	
Total							33.77 (Ha.)	3.9664 (Ha.)
1	2025/03	ARDHAPUR	ARDHAPUR	Ganpat Nagoji Singare	197	1	4.31	0.0075
Total							4.31 (Ha.)	0.0075 (Ha.)
Grand Total							44.98 (Ha.)	4.2668 (Ha.)

[F. No. G197/WR -Nanded/Pardi Makta+2 Vlg/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)